26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 25/2019

दायर दिनांक–07–02–2019

1. सुन्दरी देवी पत्नी मक्खनलाल जाति मेघवाल निवासी कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

– वादीया

बनाम

1. दुर्गा देवी पत्नी रामस्वरूप
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप
3. विजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप
4. ममता पुत्री रामस्वरूप

समस्त जाति पुरोंहित निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

5. सागरमल पुत्र बलुन्ताराम
6. श्यामलाल पुत्र बलुन्ताराम
7. शारदा पत्नी बनवारी लाल

समस्त जाति पुरोहित निवासीगण कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

8. मुनी पुत्री बनवारीलाल, पत्नी राधेश्याम जाति पुरोहित निवासी कोलसिया हाल पृथ्वीपुरा तहसील नीमका थाना जिला सीकर राज0।
9. ललिता पुत्री बनवारीलाल, पत्नी सुनिल जाति पुरोहित निवासी कोलसिया हाल ढाणी जोरावर सिंह की तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0।
10. कविता पुत्री बनवारीलाल, पत्नी मनोज कुमार जाति पुरोहित निवासी कोलसिया हाल नांद तहसील व जिला झुन्झुनूं राज0।
11. बबीता पुत्री बनवारीलाल, पत्नी कैलाश जाति पुरोहित निवासी कोलसिया हाल नांद तहसील व जिला झुन्झुनूं राज0।
12. एस.बी.आई. बैंक नवलगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री बाबूलाल वर्मा

वकील प्रति. नं. :– एकपक्षीय

<u>दावा बाबत विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

<u>व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

दिनांक– 27–09–2022

वाद वादी दिनांक 28.03.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत [illegible] तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2236 [illegible] 19.09 [illegible] प्रस्तुत करने पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। मुताबिक [illegible] वकील वादी द्वारा संहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन [illegible] प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जा[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 769, 800 व 805 रकबा क्रमशः 2.08, 1.36, 0.91 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.35 हैक्टर भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

1. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 769 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म बजंड़ प्रथम 0.62, बारानी द्वितीय 1.01, बारानी तृतीय 0.45 का सुन्दरी देवी पत्नी श्री मक्खनलाल जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार राहिन एस0बी0आई0 नवलगढ़ के मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 800, 805 रकबा क्रमशः 1.36, 0.91 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 02 कुल रकबा 2.27 हैक्टर का दुर्गा देवी पत्नी रामस्वरूप, जितेन्द्र कुमार, विजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप, ममता पुत्री रामस्वरूप ब.हि.ब. 1/24, सागरमल, श्यामलाल पुत्र बलवन्ता हिस्सा 23/48, शारदा पत्नी बनवारी लाल, मुन्नी, ललिता, कविता, बबीता पुत्रियां बनवारीलाल हि.ब. 23/48 जाति पुरोहित साकिन देह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:20 IST
Reason: SelfAttested

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰)
ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ.

मु॰न॰ 25 / 2019

दावा बाबत विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

(सुन्दरी देवी बनाम दुर्गा देवी आदि वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **श्री दमयंती कंवर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.09.2022 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 769, 800 व 805 रकबा क्रमशः 2.08, 1.36, 0.91 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.35 हैक्टर भूमि का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 769 रकबा 2.08 हैक्टर किस्म बजंड़ प्रथम 0.62, बारानी द्वितीय 1.01, बारानी तृतीय 0.45 का सुन्दरी देवी पत्नी श्री मक्खनलाल जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार राहिन एस0बी0आई0 नवलगढ़ के मूर्तहीन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम कोलसिया की भूमि खसरा नम्बर 800, 805 रकबा क्रमशः 1.36, 0.91 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 02 कुल रकबा 2.27 हैक्टर का दुर्गा देवी पत्नी रामस्वरूप, जितेन्द्र कुमार, विजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप, ममता पुत्री रामस्वरूप ब.हि.ब. 1/24, सागरमल, श्यामलाल पुत्र बलवन्ता हिस्सा 23/48, शारदा पत्नी बनवारी लाल, मुन्नी, ललिता, कविता, बबीता पुत्रियां बनवारीलाल हि.ब. 23/48 जाति पुरोहित साकिन देह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख [illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:20 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

LR

15/9/2022

(1)

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

..................(नाम) तहसीलदार नवलगढ़, न्यायालय सहायक ~~उपखण्ड अधिकारी~~, नवलगढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/234 18-7-22 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 14-9-22 समय 11:30 बजे आराजी खसरा नम्बर-...769, 800, 805 ग्राम कोलसिया पटवार हल्का ...कोलसिया पर श्री ~~विधायक~~..., पटवारी ...संगणक ~~तहसीलदार~~ / भू अभिलेख निरीक्षक / ~~पटवारी~~ के साथ मौके पर

न्यायालय सहायक कलेक्टर/~~उपखण्ड अधिकारी~~, नवलगढ़..... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-25/2019 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक/राज/2022/1822 दिनांक 01-8-22 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	सुन्दरीदेवी	पत्नि मक्खनलाल	65	मेघवाल	वादि

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौके पर किया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम- से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:20 IST
Reason: SelfAttested

सुन्दरी देवी

14/09/22
प० कोलसिया

LR
14-9-22

-- 2 --

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त व माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार तैयार किया गया है। जिसका नजरी नक्शा व विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किये हैं

नजरी नक्शा

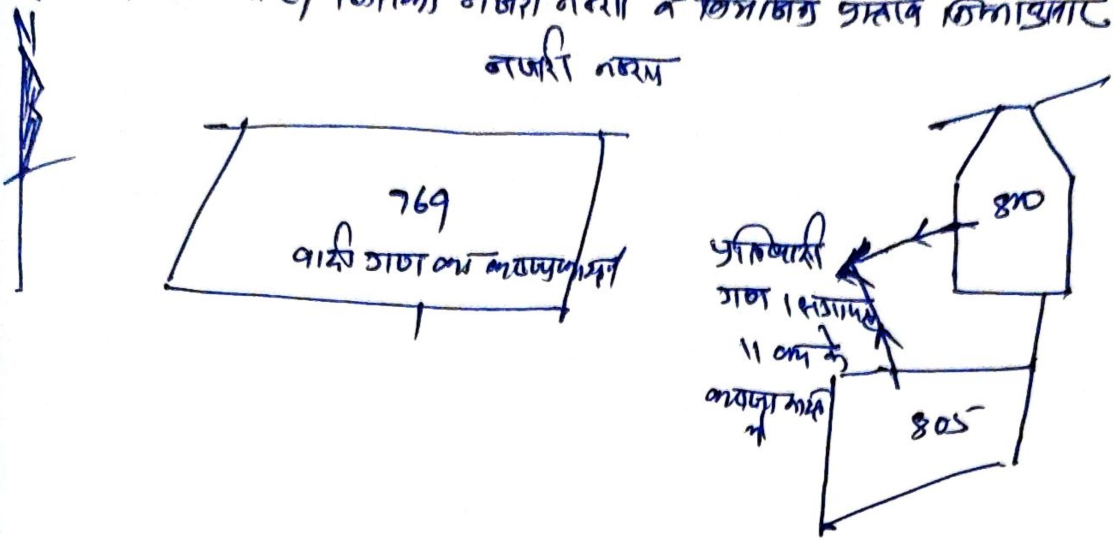

नाम खातेदार मय वल्दियत

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1. सुन्दरी देवी पत्नि मक्खनलाल जाति मेघवाल सा. खातेदार रहन SBI शाखा नवलगढ़ उपरोक्त — 769	2.08	ब. 1 .62	0.31
		बा. 2 1.01	4.99
		बा. 3 .45	1.11
1	2.08	—	6.41

2. डूगरदेवी पत्नि रामावतार जितेन्द्रकुमार विजेन्द्रकुमार पुत्र रामावतार ममता पुत्री रामावतार कुल 1/24 — सागरमल, श्यामलाल पुत्र बलवन्ता हि. 23/48 शारदा पत्नि बनवारीलाल, मुन्नी सरिता कविता बबीता पुत्रियां बनवारीलाल हि. 23/48 जाति पुरोहित सा. खातेदार — 800	1.36	बा. 1	3.36
805	0.91	बा. 1	2.25
2	2.27	[illegible]	5.61

मघराम

सुन्दरी देवी

विनोद कुमार

14/09/22
प० कोतरिया

14.9.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:20 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

आंशिक नकल नक्शा ग्राम कोलसिया
तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
मि. 1979-80

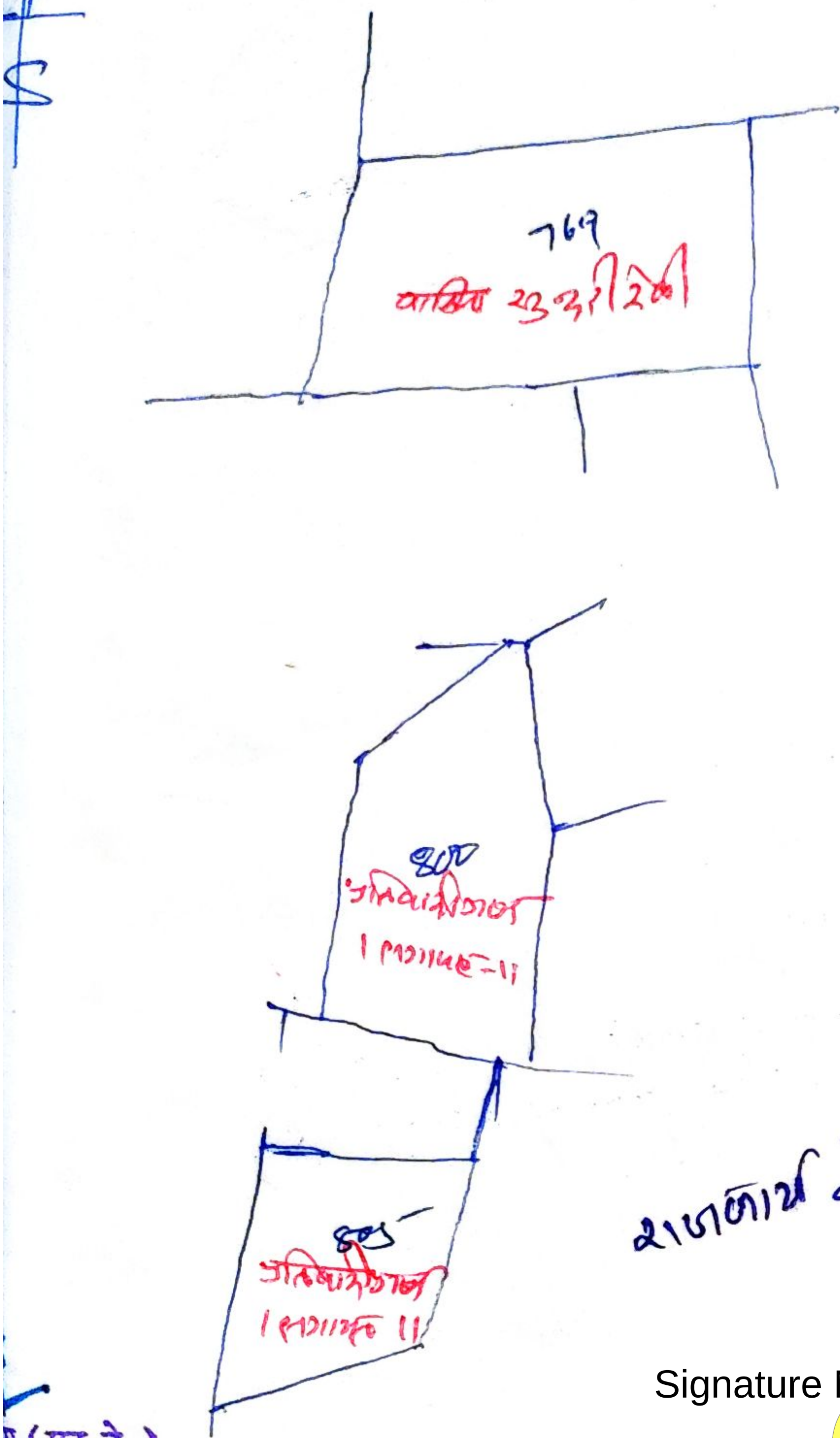

सत्यप्रतिलिपि
राजकार्य हेतु निःशुल्क 14/09/22
प० कोलसिया

सुन्दरी देवी

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:20 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

③

विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर प्रकार हस्ताक्षर किये :-

नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
सुन्दरी देवी	पत्नी मक्खनलाल	छिंपा	सुन्दरी देवी	वादी

पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने इन्कार कर दिया :-

सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..	
1	मक्खनलाल	पिता सुगनाराम	76	छिंपा	8058185961	मक्खनलाल
2.	विनोद कुमार	पिता बनवारीलाल	39	छिंपा	...786...6320	विनोद कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:20 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आज दिनांक 14.9.22 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

14/09/22
हस्ताक्षर
पटवारी जोबनेर
हस्ताक्षर 14.9.22
भू अ निरीक्षक
पचरवारा

हस्ताक्षर तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़
हस्ताक्षर
तहसीलदार

एस.डी.एम. (रा.ले.)
नवलगढ़